फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री भंवरलाल मीणा, ए–7 द्वारिका नगर, हाऊसिंग बोर्ड, धोईन्दा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 92/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.12.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये क्रमांकः एफ. 1()सू.अ.,05/2022/1012–1013 दिनांक 13.12.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 एच एवं 2 (ज) में प्रावधित सूचना ही उपलब्ध कराने के प्रावधान है एवं वांछित सूचनाएं प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार की वेबसाइट https://ard. rajasthan .gov.in पर उपलब्ध है। इस संबंध में अपीलार्थी को निश्चित समयावधि में पत्रांकः 804 दिनांक 21.09.2022 से सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया। अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 से चाही गई सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 एच एवं 2 (ज) में प्रावधित सूचना ही उपलब्ध कराने के प्रावधान होने एवं वांछित सूचनाएं प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार की वेबसाइट https://ard. rajasthan .gov.in पर उपलब्ध होने तथा प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के कॉलम संख्या 3 अनुसार "सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)